कानपुर, शनिवार, 28 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 56, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड योगी का सख्त संदेश राजस्व बढ़ाओ,विकास दौड़ाओ..>Pg12

कंबल में लिपटा मिला महिला का शव...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

एसआईआर में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को स्पष्ट चेतावनी

बहानों के साथ अदालत न आएं

शीर्ष कोर्ट ने देरी पर तीखी नाराजगी जताई

प्रक्रिया समयबद्ध पूरी करने के आदेश दिए

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में टालमटोल और अस्पष्ट कारणों के साथ बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना न्यायिक समय की बर्बादी है और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य सरकार को यह समझना होगा कि अदालत में ठोस तथ्यों के साथ आया जाए। अनिश्चित और अप्रासंगिक कारणों से प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचा जा सकता। उन्होंने संकेत दिया कि यदि प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित गति नहीं दिखाई गई तो अदालत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी।

शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उसे असाधारण कदम उठाने पड़े। अदालत ने झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कराई, ताकि किसी प्रकार का स्थानीय प्रभाव या प्रशासनिक दबाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।

कोर्ट ने दो टूक कहा कि चुनावी शुचिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि पुनरीक्षण प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई तो यह सीधे-सीधे मताधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करेगा। इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है।

न्यायिक प्रक्रिया में दखल के आरोप खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों को दस्तावेजों के परीक्षण पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो अदालत की मंशा के विपरीत है। हालांकि, पीठ ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण केवल प्रक्रियागत सहायता के लिए है और अंतिम निर्णय न्यायिक अधिकारी ही लेंगे। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है और इसे न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे समन्वय बनाकर एसआईआर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन को तत्काल दूर करें।

ममता सरकार पर बढ़ता दबाव

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है। यदि राज्य सरकार ने तय समयसीमा में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई, तो अदालत निगरानी और कड़े आदेशों का रास्ता भी अपना सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि एसआईआर अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही और राजनीतिक विश्वसनीयता का मुद्दा बन चुका है। संदेश साफ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी नहीं, पारदर्शिता और गति ही सर्वोपरि है।

राजनीतिक पारा चढ़ा विपक्ष हमलावर

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें सुस्ती गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रही है और किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा से देरी नहीं की गई है।

महाराष्ट्र बैंक घोटाला: कोर्ट ने दी दिवंगत अजित पवार को क्लीन चिट

ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार, 25 हजार करोड़ के कथित घोटाले में विस्तृत आदेश अगले सप्ताह

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के कथित 25,000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले में विशेष अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। विशेष अदालत के जज महेश के. जाधव ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दाखिल दो क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए दिवंगत नेता अजित पवार समेत अन्य आरोपितों को राहत दे दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ईओडब्ल्यू की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जा रही है। रिपोर्ट में अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और भतीजे रोहित पवार को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर क्लीन चिट दी गई थी। अदालत ने इसे विधिसम्मत मानते हुए बरकरार रखा।

ईडी और अन्ना हजारे की आपत्तियां खारिज

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए हस्तक्षेप की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे समेत करीब 50 लोगों की विरोध याचिकाएं भी नामंजूर कर दी गईं। अदालत ने टिप्पणी की कि एक ही प्रकार की आपत्तियां बार-बार उठाने से न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी होती है। गौरतलब है कि इसी मामले में ईडी की एक पूर्व याचिका भी खारिज हो चुकी है, जिसके खिलाफ अपील फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अब सभी की नजर हाईकोर्ट के रुख और विशेष अदालत के विस्तृत आदेश पर टिकी है, जो अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है।

अब आगे क्या?

अब दो पहलू अहम हैं, विशेष अदालत का विस्तृत आदेश, जिससे न्यायालय की तर्कशृंखला स्पष्ट होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित ईडी की अपील, जो मामले को नई कानूनी दिशा दे सकती है। फिलहाल, विशेष अदालत का यह आदेश न केवल एक कानूनी निष्कर्ष है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए विमर्श की शुरुआत करता दिख रहा है।

राहत या नई बहस?

यह मामला लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का केंद्र रहा है। आरोप थे कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और उससे जुड़ी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुईं, जिनमें प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आए। अदालत के ताजा आदेश को अजित पवार गुट के लिए बड़ी कानूनी और नैतिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थक इसे "सत्य की जीत" बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल जांच की दिशा और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने की तैयारी में हैं। 5जनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी समीकरणों में यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। दशकों तक राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले पवार के खिलाफ यह मामला विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा रहा था। अदालत के आदेश के बाद उन्हें कानूनी रूप से क्लीन चिट मिल गई है, जिससे उनके राजनीतिक विरासत पर लगे आरोपों को फिलहाल न्यायिक स्तर पर विराम मिला है।

नगर निगम की बड़ी पहल...

11905.70 लाख से शहर में 18 विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Kanpur Nagar Nigam द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत प्रस्तावित 18 जनहितकारी विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शासनादेशों और निधि नियमों के अनुरूप गठित समिति ने सभी प्रस्तावों की उपयोगिता, जनसुविधा, आय सृजन क्षमता तथा दीर्घकालिक स्थायित्व का विस्तृत परीक्षण किया। परीक्षण के उपरांत इन्हें जनहित में आवश्यक और औचित्यपूर्ण पाया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी स्तर से प्रशासनिक मंजूरी मिल गई।कुल 11905.70 लाख की लागत वाली इन परियोजनाओं में लगभग 62 प्रतिशत राशि आय सृजन से संबंधित योजनाओं पर तथा करीब 75 प्रतिशत धनराशि स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। इससे नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

थीम पार्क और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मॉडल टाउन में मेडिटेशन थीम पार्क और झांसी रानी पार्क में सेंसरी व हाईजीन थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

फूलबाग क्षेत्र में गो-कार्टिंग ट्रैक, परेड रामलीला मैदान में सुदृढ़ प्रवेश द्वार तथा शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य द्वारों का निर्माण प्रस्तावित है। इन कार्यों से शहर की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और पर्यटन गतिविधियों

को नई गति मिलेगी।

आमजन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान

जे.के. कैंसर अस्पताल परिसर में प्रतीक्षालय निर्माण, सार्वजनिक स्थलों पर स्टील बेंच व शेड की स्थापना, सिद्धनाथ घाट श्मशान स्थल पर अतिरिक्त शेड और शेखपुर ग्राम में सामुदायिक केंद्र का पुनर्निर्माण जैसे कार्य सीधे तौर पर नागरिकों को लाभ पहुंचाएंगे। विशेषकर वृद्धजन, महिलाएं, रोगी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इनसे बड़ी सुविधा मिलेगी।

सुरक्षा और आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण

बड़े नालों पर क्रैश बैरियर और कवरिंग, मॉडल रोड का विकास, ट्रैफिक पार्क की स्थापना तथा धोबीघाट के सुदृढ़ीकरण से शहर की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा. नगर निगम में हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम और जलकल कार्यालय सुदृढ़ीकरण से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। म्युनिसिपल बॉन्ड से जुड़ी परियोजनाएं नगर निगम की आय बढ़ाने में सहायक होंगी।

इन सभी योजनाओं की स्वीकृति को शहर के लिए सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम माना जा रहा है। अवस्थापना निधि से होने वाले ये विकास कार्य कानपुर को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

कानपुर सेंट्रल को बम से उड़ाने की दी गई धमकी

पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा मामला कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र का है, जहां डायल 112 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर स्टेशन को बम से उड़ाने की बात कही। कॉल करने वाले ने अपना नाम 'अनिल' बताया और धमकी देने के तुरंत बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया।सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद सर्विलांस टीम की मदद

से संदिग्ध नंबर को ट्रेस करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एहतियातन स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई Government Railway Police (जीआरपी), Railway Protection Force (आरपीएफ) और कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीमों ने प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर 9 तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। बुकिंग काउंटर, पार्सल ऑफिस, वेटिंग हॉल और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई। साथ ही स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लेते हुए पूरे स्टेशन परिसर की गहन जांच कराई गई है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस प्रशासन ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

रसूलाबाद में व्यापारियों से सीसीटीवी लगाने की अपील

चौराहे पर सवारी भरने वाले डग्गामार वाहनों पर कसी जाएगी नकेल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आगामी त्यौहारों के मद्देनजर बाजारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रसूलाबाद थाने में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल शिवनरायन सिंह ने की।

कोतवाल ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं तथा दुकानों के शटर में सेंट्रल लॉक की व्यवस्था करें, जिससे चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि पुलिस व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में अपराध निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कस्बे के मुख्य चौराहे पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा मनमाने ढंग से सवारी भरने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत प्रशासन के सहयोग से मुख्य चौराहे की 200 मीटर परिधि में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी, ताकि आवागमन सुचारू रहे और बाजार का व्यापार प्रभावित न हो।

बैठक में कस्बा प्रभारी प्रमोद दीक्षित, व्यापारी दिलशाद खान, रामचंद्र गौतम, गौरव कुमार, अमित पांडेय, अकील खान सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया।

पनकी के बंद नाले में कंबल में लिपटा मिला महिला का शव

शिनाख्त नहीं, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के पनकी क्षेत्र में शनिवार को एक बंद पड़े नाले से कंबल में लिपटा अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों की नजर जब नाले में पड़े शव पर पड़ी, तो मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।

यह नाला पनकी मंदिर तिराहा से गंगागंज मार्ग की ओर स्थित है, जो काफी समय से बंद पड़ा था। पावर हाउस बंधे के पानी के कारण इसमें करीब तीन फुट तक पानी भरा हुआ है। शव का केवल सिर पानी के बाहर दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों ने आशंका जताई कि शव को पत्थरों से दबाकर छिपाने की कोशिश की गई है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन देर तक पहचान नहीं हो सकी। महिला पीले रंग का स्वेटर पहने थी, नाक में बाली थी और दाहिने हाथ पर 'आर एन' लिखा हुआ मिला है, जो पहचान का अहम सुराग माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला आसपास की नहीं लगती, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

प्राथमिक तौर पर हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है।

आनंदेश्वर घाट पर युवती का शव मिलने से सनसनी

- रात से लापता थी युवती, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
- परिजनों ने शादी तय युवक पर जताया शक, जांच में जुटी पुलिस

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर घाट पर एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह घाट पर मौजूद लोगों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ग्वालटोली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका एफएम कॉलोनी की रहने वाली थी और बीती रात से लापता थी। परिजनों के अनुसार, उन्हें इस तरह की घटना की कोई आशंका नहीं थी। युवती के पिता ने बताया कि उसकी शादी जरीब चौकी निवासी अभिषेक नाम के युवक से तय हुई थी। उनका आरोप है कि उसी युवक से परेशान होकर युवती ने यह कदम उठाया हो सकता है।

मौके पर पहुंचे एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है और परिजनों के आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोग घटना की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।

कानपुर के बालिका छात्रावास में नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

- घर से लौटकर आई थी छात्रा, कमरे में पंखे से लटकता मिला शव, पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंद्रानगर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक नर्सिंग छात्रा ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, छात्रा घाटमपुर क्षेत्र की रहने वाली थी और राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि वह आज ही अपने घर से वापस हॉस्टल लौटी थी। देर शाम छात्रावास के कमरे में उसका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रावास प्रशासन में हड़कंप मच गया।

सूचना पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और कमरे की बारीकी से जांच की गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी। साथ ही छात्रा के मोबाइल फोन और अन्य व्यक्तिगत सामान की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

घटना के बाद छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राएं सहमी हुई हैं। पुलिस छात्रावास प्रशासन और छात्राओं से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है।

ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर खड़ी कार बनी आग का गोला

स्टेडियम के पास अनधिकृत पार्किंग में खड़ी टाटा नेक्सन में अचानक लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा हादसा

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। स्टेडियम के पास बनी अवैध पार्किंग एरिया में खड़ी एक काले रंग की टाटा नेक्सन कार अचानक आग की लपटों में घिर गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार के अगले हिस्से से पहले हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में धुआं तेज हो गया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में कार जलकर आग का गोला बन गई। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास खड़े लोग सुरक्षित दूरी पर हट गए।

स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि आग आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था।

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है, हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कार मालिक की पहचान कर उससे भी पूछताछ की जा रही है।

इस घटना ने एक बार फिर स्टेडियम के आसपास संचालित अवैध पार्किंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनधिकृत पार्किंग में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, जिससे भविष्य में भी ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने होली से पहले किया व्यापक निरीक्षण

लापरवाही पर नोटिस और वेतन कटौती के निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। होली पर्व को देखते हुए नगर निगम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जोन-1 के अंतर्गत हटिया (रज्जन बाबू पार्क), बादशाहीनाका, कोपरगंज, तलवामंडी, लक्ष्मीपुरवा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां कार्य संतोषजनक पाए गए, वहीं लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

हटिया रज्जन बाबू पार्क में मेला से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश

सबसे पहले हटिया रज्जन बाबू पार्क का निरीक्षण किया गया। यहां 6.18 लाख रुपये की लागत से फर्श, शेड, गलीपिट और गेट निर्माण कार्य स्वीकृत है। फर्श, शेड व गलीपिट का कार्य पूर्ण पाया गया, जबकि गेट का कार्य प्रगति पर है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि होली मेले से पूर्व हर हाल में सभी कार्य पूर्ण किए जाएं।मौके पर मौजूद मेला समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था पर संतोष जताया।

पार्क परिसर स्थित प्राचीन कुएं के सूखे पाए जाने पर नगर आयुक्त ने उसके सौंदर्यीकरण व जल व्यवस्था हेतु शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बादशाहीनाका चौराहे के समीप टूटी गलीपिट व फुटपाथ को भी तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया।

कोपरगंज में 40.50 लाख की सीसी सड़क का निरीक्षण

कोपरगंज में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 40.50 लाख रुपये की लागत से 280 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया। हालांकि दो स्थानों पर मेनहोल के आसपास कच्चा भाग तथा नालियों में गंदगी और सीएंडडी वेस्ट जमा मिला।

नगर आयुक्त ने मेनहोल के आसपास आरसीसी कार्य कराने और कचरा तत्काल हटाने के निर्देश दिए। नालियों की सफाई में शिथिलता बरतने पर जोनल स्वच्छता अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

नागरिकों से लिया फीडबैक, खुला गड्ढा बना खतरा

तलवामंडी क्षेत्र में नागरिकों से फीडबैक लिया गया। लोगों ने बताया कि नई सड़क बनने से जलभराव की समस्या समाप्त हो गई है।

हालांकि तलवामंडी चौराहे पर जल निकासी के लिए खोदा गया गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा मिला, जहां पर्याप्त बैरिकेडिंग भी नहीं थी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जोनल अभियंता आर.के. तिवारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा शाम तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर जियो टैग फोटो प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

लक्ष्मीपुरवा में 29 लाख से सुधार कार्य, गुणवत्ता पाई मानक के अनुरूप

वार्ड-1 लक्ष्मीपुरवा में 29 लाख रुपये की लागत से 260 मीटर लंबी गली सुधार कार्य का निरीक्षण किया गया। ढलाई की मोटाई औसतन 12 सेंटीमीटर पाई गई, जो मानक के अनुरूप है।

नगर आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने और शौचालय के बाहर इंटरलॉकिंग व नाली मरम्मत भी इसी धनराशि से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

शौचालय की बदहाल स्थिति, एक सप्ताह में योजना प्रस्तुत करने के आदेश

लक्ष्मीपुरवा के सार्वजनिक शौचालय की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। फर्श और सीटें क्षतिग्रस्त थीं। नगर आयुक्त ने एक सप्ताह के भीतर संपूर्ण सुधार की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।

सफाई में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर गंदगी मिलने पर सफाई निरीक्षक विपिन कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सफाई पर्यवेक्षक विकास कुमार का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि होली पर्व के मद्देनजर शहर में सफाई, प्रकाश और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ईंट भट्ठे पर खेल रहे मासूम की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत

राजपुर पीएचसी में पंचनामा भर्ती सट्टी पुलिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सटटी थाना क्षेत्र के पचलक स्थित एक ईंट भट्ठे पर शनिवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से ढाई वर्षीय मासूम की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।मूल रूप से जालौन जनपद के थाना कदौरा क्षेत्र के परौसा गांव निवासी वीरेंद्र अपनी पत्नी कंचन और परिवार के साथ पचलक स्थित ईंट-भट्ठे पर रहकर ईंट पथाई का कार्य करता है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह अपनी पत्नी के साथ काम में जुटा था। पास में ही पानी से भरा गहरा गड्ढा था, जिसके निकट उनका ढाई वर्षीय बेटा अमन खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक वह गड्ढे में गिर गया और पानी में डूब गया।

कुछ देर बाद जब परिजनों की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी तो खोजबीन शुरू की गई। लोगों की मदद से बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर सटटी थानाध्यक्ष कालीचरन कुशवाहा मौके पर पहुंचे और सरकारी वाहन से बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर ले जाया गया। वहां चिकित्सक डॉ. प्रियंक तिवारी ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां कंचन बिलख पड़ी। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष कालीचरन कुशवाहा ने बताया कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मालिकाना हक व अभिलेखों में सुधार के लिए तहसील पहुंचे शरणार्थी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। वर्ष 1964 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत आए और बाद में तहसील क्षेत्र के ताजपुर तरसौली गांव में बसाए गए दो दर्जन से अधिक विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों ने शुक्रवार को एसडीएम से मुलाकात कर भूमि अभिलेखों में सुधार और मालिकाना हक दिलाने की मांग की।

ताजपुर तरसौली निवासी विश्वजीत सरकार, झरना रानी, वासना, गोर कीर्तनिया, सुभाष मंडल, परिमल मंडल, अजय विश्वास, अन्ना रानी, विश्वनाथ सहित अन्य लोगों ने उपजिलाधिकारी सर्वेश कुमार सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके परिवार वर्ष 1964 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए थे। भारत सरकार की जिला सहायता एवं पुनर्वास योजना के तहत उन्हें रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के ताजपुर तरसौली गांव में बसाया गया था।

बताया गया कि महेंद्र नगर नंबर-2 और 4 में वर्ष 1982 से 1984 के बीच कुल 92 परिवारों का पुनर्वास किया गया था। प्रत्येक परिवार को तीन-तीन एकड़ कृषि भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें रास्ता, नाली और बोरिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं भी शामिल थीं।

परिवारों का आरोप है कि कंप्यूटर खतौनी और राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या गलत दर्ज हो गई है। वहीं चकबंदी के दौरान भूमि का रकबा भी कम कर दिया गया, जिससे कई परिवारों की जमीन अलग-अलग चकों में दर्ज हो गई है। इससे परिवारों में असमंजस और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है।

शरणार्थियों ने आशंका जताई कि जब तक अभिलेखों में त्रुटियां दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक उनकी आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों को पट्टा दिए जाने की संभावना बनी रहेगी। उन्होंने मांग की कि गलत गाटा संख्या को ठीक कराया जाए, चकबंदी में कम किए गए रकबे को पूरा कर पूर्व स्थिति बहाल की जाए और प्रत्येक परिवार को तीन-तीन एकड़ कृषि भूमि की कंप्यूटर खतौनी व विधिवत मालिकाना हक का पट्टा जारी किया जाए।सुमित्रा सरकार ने कहा कि उनके खेत यथास्थिति रखे जाएं। जितनी भूमि आवंटित हुई थी, उतनी ही उनके नाम सुरक्षित रहे। यदि अतिरिक्त भूमि हो तो प्रशासन उसे अन्य विस्थापित परिवारों को दे सकता है।गौरतलब है कि महेंद्र नगर के निकट जल्द ही नए विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों को बसाने की प्रक्रिया भी तेज है, जिसे लेकर मौजूदा परिवारों में चिंता बढ़ी है।इस संबंध में एसडीएम सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है, जो जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

सम्पादकीय

ट्रायल कोर्ट के फैसले से आप को प्राणवायु

दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला सीबीआई की तरफ से दायर मामले में आया है। अदालत ने सीबीआई की जांच में खामियों को उजागर करते हुए कहा कि आरोप गवाह या ठोस सबूतों पर आधारित नहीं हैं। अदालत का तर्क था कि चार्जशीट में उल्लेखित दावे तार्किक आधार नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति साल 2021 में लागू की थी। जिसके अंतर्गत शराब कारोबार निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन सरकार ने दलील दी थी कि नई नीति राज्य के राजस्व में आशातीत वृद्धि करेगी। बहरहाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल नैतिक रूप से खुद को बेहतर स्थिति में होने का दावा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल तथा 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। निश्चय ही संकट से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिये यह फैसला प्राणवायु जैसा साबित हो सकता है। दरअसल, कोर्ट ने इस बाबत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी का मामला न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। कोर्ट का कहना था कि अटकलों व अनुमानों को कानूनी रूप से मान्य सबूतों के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल व उनकी टीम के लिये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जिससे वे खुद को आम आदमी पार्टी के कोर वोटरों को अपने पाक-साफ होने का विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकते हैं।उल्लेखनीय है कि बीते साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस प्रकरण को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखे हमले बोले थे। पार्टी ने दिल्ली के मतदाताओं को यह समझाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी कि केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच है।

बहरहाल, इन आरोपों के बीच स्वच्छ शासन का वादा करते हुए भाजपा ने 26 वर्ष के लंबे अंतराल पर दिल्ली की सत्ता में वापसी की थी, जबकि आप दूसरे स्थान पर रही थी।

दिल्ली विधानसभा में मिली शिकस्त के बाद ही आप के शीर्ष नेतृत्व ने अपना पूरा ध्यान पंजाब पर लगाया था। आज पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। भले ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है,लेकिन एक बात तो तय है कि निचली अदालत के आदेश के बाद आप को दिल्ली में खोये जनाधार को फिर से हासिल करने का मौका मिल सकेगा। वह अपनी पार्टी के मुख्य भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फिर से चलाने के लिये नैतिक बल तो हासिल कर पायी है। दरअसल, इस फैसले से जांच में अत्यधिक दखलंदाजी को लेकर कई असहज करने वाले सवाल भी उठे हैं। खासकर अदालत की वह टिप्पणी, जिसमें कहा गया कि जांच एक पूर्वनिर्धारित दिशा में चलती प्रतीत होती है। यानी जांच में उचित प्रक्रिया का उलंघन किया गया है।

विश्वविद्यालयों की ब्रांडिंग के युग में मौलिकता का प्रश्न

यशवंत सचदेव

बाजार चालित नव उदारवादी व्यवस्था शिक्षण क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेती है, तो यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांड वैल्यू बेचने लगती हैं। यूं भी औपनिवेशिक काल की सोच के चलते मूल रिसर्च करने के बजाय नकल की प्रवृत्ति बढ़ी। एआई इंपेक्ट समिट...बाजार चालित नव उदारवादी व्यवस्था शिक्षण क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेती है, तो यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांड वैल्यू बेचने लगती हैं। यूं भी औपनिवेशिक काल की सोच के चलते मूल रिसर्च करने के बजाय नकल की प्रवृत्ति बढ़ी। एआई इंपेक्ट समिट में गलगोटिया विवि की प्रोफेसर ने जो किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि किसी नकल करने वाले देश के लिए मौलिक बनना आसान नहीं।यकीन मानिए, मुझे हैरानी नहीं हुई जब मुझे पता चला कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने हाल ही में देश की राजधानी में हुई भारत एआई इंपेक्ट समिट में विवाद खड़ा कर दिया है।

जी हां, प्रोफेसर नेहा सिंह को अपनी यूनिवर्सिटी की 'उपलब्धि' दिखाने के लिए झूठा दावा करने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हुई। हां, हम सबने देखा कि किस प्रकार उन्होंने सरकारी टेलीविजन चैनल डीडी न्यूज़ को विवरण दिया— और वह भी उस किस्म की 'चतुराई' के साथ जो हम कॉर्पोरेट कंपनियों के ज़हीन सेल्समैन में देखते हैं— कि 'ओरियन' नाम का रोबोटिक श्वान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है, जबकि कड़वा सच यह है कि इस रोबोट को चीनी रोबोटिक्स कंपनी, 'यूनिट्री' ने ईजाद किया है, और यह भारत में भी ऑनलाइन बेचा जाता है।इसमें अचरज नहीं है क्योंकि हमारी पीढ़ी ने यूनिवर्सिटी के जिस आदर्श को संजोया था, वह भरभरा कर टूट चुका है। हमने सोचा था कि किसी यूनिवर्सिटी की पहचान उसकी व्यावहारिक सहभागिता, अर्थपूर्ण अनुसंधान, आलोचनात्मक विचार, नैतिक संवेदनशीलता और सबसे ऊपर, शिक्षण की गरिमा से जानी जाएगी। एक यूनिवर्सिटी, जैसा कि हम मानते हैं, वह गुणवत्ता में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल या विज्ञापन एजेंसी से अलग जगह होती है। लेकिन फिर, हम एक बिल्कुल अलग समय में जी रहे हैं। जैसे-जैसे बाजार चालित नव उदारवादी मशीनी तार्किकता शिक्षण क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेती है, शिक्षा पूरी तरह

से व्यापार बन जाती है, आलोचनात्मक विमर्श बलि चढ़ जाता है, छात्र उपभोक्ता बनकर रह जाता है और अध्यापक सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने लगता है।कोई हैरानी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी भी अपनी 'ब्रांड' वैल्यू बेचने लगी हैं -जैसे कोई कंपनी डिटर्जेंट पाउडर बेचती हो और बेचे जाने वाले अपने उत्पाद के फायदों के बारे में हर तरह के झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर दावे करे। असल में, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- ये फैंसी 'उत्पाद' हैं जिन्हें नवउदारवादी यूनिवर्सिटी रणनीतिक विज्ञापनों और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों के ज़रिए बेचना चाहती है। इसलिए अगर कोई यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि के बारे में झूठे दावे करती हो तो आपको और मुझे हैरानी क्यों होनी चाहिये? एक प्रकार से, प्रोफ़ेसर नेहा सिंह को दोष नहीं दिया जाये क्योंकि आखिरकार वे खुद एक ऐसी संस्कृति का उत्पाद हैं जो यूनिवर्सिटी को लाभ कमाने वाला एक धंधा, एक प्रोफ़ेसर को जन संपर्क एजेंट और छात्र अथवा अभिभावक को एक संभावित ग्राहक की तरह लेता है।भले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी फिलहाल खबरों में है, लेकिन सच तो यह है कि एक यूनिवर्सिटी को 'ब्रांड' के तौर पर बेचने का यह काम अब आम बात है। और शिक्षा के इस किस्म के सरेआम व्यवसायीकरण को 'रैंकिंग' की राजनीति और आगे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है। सड़क किनारे लगे बिलबोर्ड या चमकदार पत्रिकाओं एवं अख़बारों में दिए भव्य विज्ञापन देखिए, तो आप आसानी से गौर कर सकते हैं कि कैसे इन सभी संस्थानों को 'टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी' के तौर पर पेश किया जा रहा है।और ऐसी रैंकिंग एजेंसियों की कोई कमी नहीं है जिनकी सेवाएं ये यूनिवर्सिटियां निरंतर लेती रहती हैं और आमंत्रित करती हैं।

मोदी की इजरायल यात्रा के कूटनीतिक निहितार्थ

भारत-इजरायल

निरंजन मिश्रा

देखा जाए तो यह 2017 के बाद पीएम मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा 2026 में हुई, जो द्विपक्षीय व्यापार को कई अरब डॉलर तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। जहां तक इस यात्रा के रणनीतिक महत्व की बात है तो यह यात्रा बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव और अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच हुई, जो इजरायल को मजबूती प्रदान करती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजरायल यात्रा भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक भू-राजनीति में बदलते समीकरणों को दर्शाती है। यह यात्रा पश्चिम एशिया की अस्थिरता के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देती है। इस बार मोदी ने इजरायल संसद केनेसेट को संबोधित किया, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले के बाद भारत के इजरायल समर्थन की पुष्टि की और ईरान द्वारा शह प्राप्त हमास की मानवता द्रोही कार्रवाई की भर्त्सना की। इसके अलावा, नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया।

देखा जाए तो यह 2017 के बाद पीएम मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा 2026 में हुई, जो द्विपक्षीय व्यापार को कई अरब डॉलर तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। जहां तक इस यात्रा के रणनीतिक महत्व की बात है तो यह यात्रा बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव और अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच हुई, जो इजरायल को मजबूती प्रदान करती है। वहीं नेतन्याहू का प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन (भारत, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस आदि) चीन-पाकिस्तान-तुर्की धुरी के विरुद्ध एक रणनीतिक संतुलन भी बनाता है। यह वैश्विक कूटनीति में नहले पर दहले की तरह समझा जा रहा है।जिस तरह से भारत, इजरायल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन चुका है, उससे

दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की सुरक्षा का समीकरण प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देशों को भी भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता का एहसास हुआ है, जो भारत को एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी-चौथी महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की दिशा में सक्रिय है।जहां तक इस यात्रा के आर्थिक आयामों की बात है तो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (स्न्रञ्ज) पर सकारात्मक चर्चा हुई, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। खासकर इ्स्रश्वष्ट कॉरिडोर (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप) पर ॒श्व के साथ त्रिपक्षीय सहयोग से वैश्विक व्यापार को एक नया आकार मिलने की संभावना है। वहीं कृषि, जल प्रबंधन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में इजरायली विशेषज्ञता भारत के विकास को काफी बढ़ावा देगी।शायद यही वजह है कि अरब जगत में खलबली मची है और इस्लामिक कट्टरता को हवा देने वाले पश्चिमी और पूर्वी देशों में बेचैनी भी। इस प्रकार की वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां मोदी की इजरायल यात्रा से इस्लामी देशों की मीडिया में खलबली मची, क्योंकि यह इस्लामी उग्रवाद विरोधी एक्सिस का संकेत माना गया। वहीं फिलिस्तीन समर्थन बनाए रखते हुए अमेरिका को सिग्नल देते हुए भारत ने ग्लोबल साउथ में संतुलित भूमिका निभाई।

वहीं इस यात्रा ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वैश्विक छवि को मजबूत किया, जो गाजा संकट के बीच चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आए दिन बढ़ते वैश्विक इस्लामिक कट्टरता परस्त आतंकवाद, भीड़ हिंसा और लक्षित हमलों से भारत और इजरायल दोनों को खतरा है, इसलिए उनकी पारस्परिक और लाभप्रद एकजुटता भारत-इजरायल विरोधी देशों को चुभती रहती है। भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुएचूंकि भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, जबकि भारत ने 1950 में ही इजरायल को मान्यता दी थी। खासकर मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 से द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हुए, जिसमें उच्च स्तरीय यात्राएं और रक्षा-सहयोग प्रमुख रहे। इससे द्विपक्षीय लाभ में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी दृष्टिगोचर हुई। सुरक्षा सहयोग के मद्देनजर इजरायल भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है,।

माहौल बिगाड़ने वालों पर बाज की नजर रखेगी पुलिस

○ होली और रमज़ान को लेकर प्रशासन अलर्ट ○ तहसील सभागार में शांति समिति की बैठक

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। रमज़ान पाक का पवित्र महीना जारी है और होली का त्योहार भी नजदीक है। दोनों प्रमुख पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को तहसील सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लेकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने की। उन्होंने कहा कि त्योहारों की आड़ में हुड़दंग, अराजकता या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रवियों पर पुलिस बाज़ की तरह नजर रखेगी। अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। प्रमुख चौराहों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। नियमित पैदल गश्त, वाहन चेकिंग अभियान और रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाया जाएगा।बैठक में उपजिलाधिकारी बिल्हौर डॉ. संजीव दीक्षित, क्षेत्राधिकारी व एसीपी मंजय सिंह, तहसीलदार अनुभव चंद्रा, नगर पालिका ईओ अंजनी मिश्रा, कोतवाल सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार दिव्या भारती, रंजीत यादव सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि दोनों त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं।

तहसील सभागार में शांति समिति की बैठक में मौजूद डीसीपी वेस्ट एस. एम. कासिम आबिदी व अन्य अधिकारी।

- संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी पुलिस गश्त
- सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश

बिल्हौर में 575 स्थानों पर होगा होलिका दहन

बिल्हौर सर्किल के पांच थानों में 575 स्थानों पर होलिका दहन होगा।अधिकारियों ने सभी थानेदारों को सतर्कता बरतने और नई परंपरा न शुरू होने देने के निर्देश दिए हैं। चौबेपुर में सबसे अधिक 174 स्थानों पर होलिका दहन होगा, जबकि बिल्हौर में 132, शिवराजपुर में 120, ककवन में 80 और अरौल में 69 स्थान तय किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस व पीएसी तैनात रहेगी।

तरावीह में कुरआन मुकम्मल, महफिल में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़

कुरआन मुकम्मल होने के बाद हाजी मुफ़्ती यासिर को फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित करते अकीदतमंद।

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कस्बे के मोहल्ला कुआँ पारा स्थित मस्जिद में रमजान के नौवें रोजे पर तरावीह की नमाज के दौरान कुरआन पाक मुकम्मल हुआ। इस मौके पर मस्जिद परिसर में रूहानी महफिल सजी, जिसमें बड़ी तादाद में रोजेदारों और नमाजियों ने शिरकत की।महफिल की शुरुआत नात-ए-पाक और सलाम से हुई। इसके बाद तकरीर करते हुए हाजी मुफ़्ती यासिर अरफ़ात ने रमजान की फजीलत, कुरआन की बरकत और तरावीह की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तरावीह में अल्लाह का कलाम सुनना बड़ी नेमत है और यह हमारे नबी मुहम्मद का सदका है कि उम्मत को कुरआन सुनने और समझने की तौफीक मिलती है।

उन्होंने कुरआन की हिफाजत का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह तआला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। साथ ही स्पष्ट किया कि कुरआन मुकम्मल होने के बाद भी पूरे रमजान तरावीह जारी रहती है। तरावीह में कलाम-ए-पाक सुनना अलग सुन्नत है और महीने भर तरावीह अदा करना अलग सुन्नत है। अंत में विशेष दुआ कराई गई, जिसमें मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन-चैन और मगफिरत की दुआ मांगी गई। महफिल के समापन पर लोगों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी।

- नौवें रोजे पर मस्जिद में हुआ कुरआन पाक मुकम्मल
- नात व सलाम के साथ सजी रूहानी महफिल
- हाजी मुफ़्ती यासिर अरफ़ात ने बयान में रमजान की फजीलत बताई

अन्य मस्जिदों में भी कुरआन मुकम्मल

उधर कस्बे की शाही मस्जिद और गुलशन कादरिया में भी नौवें रोजे पर कुरआन पाक मुकम्मल हुआ। वहीं कस्बे के एक मदरसे में मात्र छह दिनों में ही कुरआन पाक मुकम्मल कर लिया गया, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया।

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, 20 हजार का अर्थदंड

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर/कानपुर। चौबेपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अजय कुमार त्रिपाठी के अनुसार घटना जुलाई 2022 की है। चौबेपुर क्षेत्र के

एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि गांव का ही शिव सिंह उर्फ टिंकू उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

कुछ समय बाद किशोरी के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे चिकित्सक के पास ले गए। अल्ट्रासाउंड जांच में वह सात माह की गर्भवती पाई गई। इसके बाद परिवार को घटना की पूरी जानकारी हुई और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) सुरेंद्र सिंह तृतीय की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने रंजिशन फंसाने का तर्क दिया।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

परीक्षा केंद्रों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। हाल ही में अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज की एक छात्रा द्वारा कॉलेज प्रबंधन पर नकल कराने का आरोप लगाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

- कक्षाओं में पहुंचकर बैठने की व्यवस्था और निगरानी परखी

शुक्रवार को तहसीलदार अनुभव चंद्र ने क्षेत्र के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीधे क्लासरूम में पहुंचकर परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था, कक्ष निरीक्षकों की तैनाती और प्रश्नपत्र वितरण प्रक्रिया की जांच की।

निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया।

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। तहसीलदार ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से परीक्षा केंद्रों पर सख्ती का माहौल है।

फर्रुखाबादः महिला की मौत पर बवाल

डीएम के आदेश पर कुलवंती हॉस्पिटल सीज

» सर्जरी के पर्याप्त उपकरण नहीं मिले, चिकित्सकों की डिग्रियों की होगी जांच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। इटावाङ्बरेली हाईवे स्थित मसेनी चौराहा पर संचालित कुलवंती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद रविवार को जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित परिजनों के सामने स्थिति नियंत्रण में लाना आसान नहीं रहा। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मौके से चले गए थे, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया।

जानकारी देते सीएमओ

लापरवाही में कुलवंती हॉस्पिटल सीज किया गया

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर अस्पताल की गहन पड़ताल के निर्देश दिए। टीम ने अस्पताल की ऑपरेशन थियेटर (ओटी) सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। प्रारंभिक जांच में सर्जरी से संबंधित पर्याप्त उपकरण और मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं न मिलने की बात सामने आई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर कुलवंती हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। सीएमओ ने बताया कि जांच कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की शैक्षणिक डिग्रियों और पंजीकरण की भी जांच कराई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आसपास संचालित अन्य निजी अस्पतालों–नारायण हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल और महालक्ष्मी अस्पताल–की भी ओटी और व्यवस्थाओं की पड़ताल की। अधिकारियों का कहना है कि जिले में बिना मानक के संचालित किसी भी निजी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएमओ ने आम जनता से अपील की कि गंभीर स्थिति में मरीजों का उपचार जिला अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कराएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। कुलवंती हॉस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित रूप से लोहिया जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है।इधर, महिला की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

यूएई में दबोचा गया शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम

» 1050 करोड़ की ठगी का आरोप, भारत लाने की प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज

» 606 मुकदमे दर्ज, 267 करोड़ की संपत्ति अटैच हजारों निवेशक हुए ठगी के शिकार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। बहुचर्चित शाइन सिटी घोटाले के मुख्य आरोपित और समूह के निदेशक राशिद नसीम को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि भारत का विदेश मंत्रालय ने की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर केंद्र सरकार पहले ही यूएई को प्रत्यर्पण के लिए अंतिम डोजियर सौंप चुकी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।राशिद नसीम पर निवेशकों के करीब 1050 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। उसने शाइन सिटी समूह के नाम पर जमीन, प्लॉट और ऊंचे रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से निवेश कराया, लेकिन न तो उन्हें जमीन दी गई और न ही कोई रिटर्न। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम से उसने भूखंड, फ्लैट, आभूषण और लग्जरी गाड़ियां खरीदीं, साथ ही विदेशों में भी निवेश किया।इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब तक करीब 267 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुका है। राशिद के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर समेत में 606 मुकदमे दर्ज हैं। उसके भाई आसिफ नसीम सहित आठ सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।राशिद नसीम नेपाल के रास्ते भागकर यूएई पहुंच गया था और वहीं से संपत्तियां बेच रहा था। ईडी द्वारा कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद पेश न होने पर उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। बाद में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया।प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में औपचारिक अनुरोध भेजा और जनवरी 2026 में अंतिम डोजियर सौंपा था। अब गिरफ्तारी के बाद जल्द ही राशिद नसीम को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सर्वाइकल वैक्सीन से बच्चेदानी में हो रहे कैंसर से मिलेगी निजात

प्रधानमंत्री द्वारा पुष्कर से वैक्सीन को किया लॉन्च

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई द्य इस सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि इस वैक्सीन से महिलाओं की बच्चेदानी में हो रहे कैंसर रोग से निर्जात मिलेगी , उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पुष्कर क्षेत्र से इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है उनका मुख्य उद्देश्य कम उम्र के बच्चियों में यह बीमारी पनप रही है जिस के चलते जेनरेशन में दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का प्रयोग करने से इस समस्या से निजत ही नहीं मिलेगी बल्कि जेनरेशन में भी वृद्धि होगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि सर्वाइकल वैक्सीन का मतलब है सर्वाइकल नहीं बल्कि महिलाओं के बच्चेदानी में हो रहे कैंसर इलाज के लिए इसको तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का प्रयोग करने से महिलाएं स्वस्थ रहेंगी।

शटडाउन के बावजूद चालू हुई लाइन करंट से झुलसे लाइनमैन का कटा हाथ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शटडाउन लेने के बावजूद

एसडीओ, जेई व एसएसओ पर लापरवाही का आरोप, जांच शुरू

अचानक बिजली सप्लाई चालू कर दिए जाने से पोल पर कार्य कर रहे एक लाइनमैन के साथ बड़ा हादसा हो गया। तेज करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। हालत बिगड़ने पर उसे विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों को उसका एक हाथ काटना पड़ा। मामले में पीड़ित के पिता ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

थाना क्षेत्र के डाढ़ापुर निवासी रामआसरे के अनुसार, उनका पुत्र नीरज बाबू उर्फ गुंजन सब स्टेशन जैनपुर के बैना फीडर में लाइनमैन के रूप में कार्यरत है। 19 फरवरी को उसने एसएसओ प्रदीप से विधिवत शटडाउन लेकर नैनपुर गांव स्थित एक निजी नलकूप पर आए फॉल्ट को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़कर काम शुरू किया था। आरोप है कि कार्य के दौरान अचानक लाइन चालू कर दी गई, जिससे उसे तेज करंट लगा और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया।

गंभीर रूप से झुलसे नीरज को पहले पीएचसी राजपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया। कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसका एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसे चिकित्सकों ने काटने का निर्णय लिया। वर्तमान में उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

पीड़ित पिता का आरोप है कि एसडीओ अनिल कुमार शर्मा और जेई कपिल देव शर्मा की मिलीभगत से एसएसओ ने लापरवाही बरतते हुए लाइन चालू की। मामले में उपजिलाधिकारी सिकंदरा को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने भी बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते पूर्व में भी कई संविदा कर्मियों की जान जा चुकी है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की।

थाना अध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की जा रही है।

घटना के बाद संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है और बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था तथा शटडाउन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।

प्रहलादपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात ।भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में शुक्रवार शाम एक 20 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रहलादपुर निवासी दीवान सिंह ने बताया कि उनके पुत्र रविशंकर शुक्रवार शाम घर के अंदर अपने कमरे में था। काफी देर तक बाहर न आने पर परिवार के लोगों को चिंता हुई। जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो वह कमरे के अंदर खूंटी से कपड़े के सहारे लटका हुआ मिला ।परिजन तत्काल उसे नीचे उतारकर स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं ।घटना की सूचना मिलने पर भोगनीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

पुखरायां में दिनदहाड़े सुनार की दुकान पर महिलाओं ने पार किए जेवरात

सीसीटीवी में कैद वारदात, तीन संदिग्धों की तलाश में जुटी पुलिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कस्बा पुखरायां में दिनदहाड़े एक सुनार की दुकान पर चोरी की घटना सामने आई है। जेवर खरीदने आई एक महिला के बैग से सोने का हार, सोने की अंगूठी और करीब दो हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीन संदिग्ध महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।

थाना अकबरपुर थाना क्षेत्र के करौशा गांव निवासी विकास यादव की पत्नी खुशबू कस्बे की नेतराम गली स्थित एक प्रतिष्ठित सुनार की दुकान पर सोने का हार बनवाने पहुंची थीं। वह दुकान में बैठकर सुनार से डिजाइन और वजन के संबंध में बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान तीन अज्ञात महिलाएं दुकान में आईं और सहजता से उनके पास बैठ गईं।

बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं बातचीत के बहाने मौका तलाशती रहीं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने बड़ी सफाई से खुशबू के बैग की चेन खोलकर उसमें रखा सोने का हार, एक अंगूठी और नगद राशि निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों महिलाएं सामान्य ढंग से दुकान से बाहर चली गईं, जिससे किसी को उन पर संदेह नहीं हुआ ।खरीदारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब खुशबू ने अपना बैग देखा तो उसमें से जेवरात और नकदी गायब थे। यह देख वह घबरा गईं और तत्काल दुकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीनों महिलाएं योजनाबद्ध तरीके से बैग से सामान निकाल रही हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुखरायां चौकी प्रभारी अमरेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। पीड़िता की ओर से कोतवाली में लिखित तहरीर दी गई है।

चौकी प्रभारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो चुकी है। फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

दिनदहाड़े हुई इस घटना से कस्बे के व्यापारियों और ग्राहकों में चिंता का माहौल है। सुनारों और अन्य दुकानदारों ने बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। पुलिस ने भी बाजारों में गश्त बढ़ाने और लोगों से अपने कीमती सामान के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दी जाती हैं।

पटेल नगर में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कस्बे के पटेल नगर मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है ।पटेल नगर निवासी फर्नीचर कारीगर हरिकृष्ण शर्मा की पत्नी हेमा शर्मा की रात करीब साढ़े नौ बजे अचानक हालत बिगड़ गई।

परिजनों के मुताबिक, खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन्हें सीने में तेज दर्द और घबराहट की शिकायत हुई। आनन-फानन में पति हरिकृष्ण शर्मा उन्हें निजी वाहन से

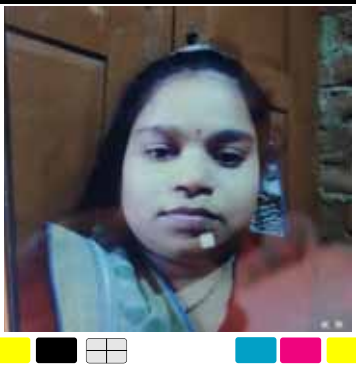

राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. जी.पी. द्विवेदी ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया ।पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला हृदयाघात का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने बताया कि यदि रिपोर्ट में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मृतका के दो पुत्र आयुष (9 वर्ष) और शौर्य (7 वर्ष) हैं। मां की असमय मृत्यु से बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ घर पर जुटी रही। पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है ।फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

माती कोर्ट ग्राउंड में भव्य होली मिलन समारोह

अध्यक्ष पद के लिए जितेन्द्र प्रताप सिंह ने पेश की दावेदारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। माती स्थित कोर्ट गेट नंबर दो के अंदर झंडा पार्क परिसर में होली के पावन अवसर पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की।

समारोह में जिले भर से लगभग 500 से अधिक अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर रंग, उमंग और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और पारंपरिक होली गीतों पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया। आयोजन स्थल पर विभिन्न व्यंजनों की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसका सभी ने आनंद लिया।

स्वराज इंडिया से बातचीत में जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि होली मिलन समारोह का उद्देश्य अधिवक्ता समाज को एक मंच पर लाकर आपसी सौहार्द, एकजुटता और भाईचारे को सुदृढ़ करना है। उन्होंने जिले की जनता से अपील की कि होली का पर्व शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी भी प्रकार के विवाद, उपद्रव और नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी परिवार और समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। उन्होंने कानून-व्यवस्था का सम्मान करने को प्रत्येक नागरिक का दायित्व बताया।

अध्यक्ष पद की दावेदारी पर अपने विचार रखते हुए जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि उन्हें अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला तो वह अधिवक्ता परिवार की हर छोटी-बड़ी समस्या को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि छोटे मुकदमों में अधिवक्ताओं को कई बार अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दूर करने के लिए वह प्रभावी पहल करेंगे। साथ ही पीड़ितों के मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस प्रयास करने का आश्वासन भी दिया, ताकि आमजन को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

समारोह में रोहित शुक्ला, शैलेंद्र तिवारी, मुलायम सिंह यादव, अरविंद कुशवाहा, विनोद चौहान, प्रदीप पांडेय, परितोष चंदेल, आनंद कुमार शुक्ला, अभिषेक सिंह, गौर आनंद स्वरूप शुक्ला, महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर, सुरेखा, विश्वनाथ, योगेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश दिया।

विज्ञान की उड़ान: क्विज व मॉडल प्रदर्शनी से निखरी प्रतिभाएं

» डेराकरीमनगर विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर छात्रों ने दिखाया हुनर

» परीक्षा व प्रदर्शनी के संयुक्त मूल्यांकन में विजेताओं को किया गया सम्मानित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। संविलियन विद्यालय डेराकरीमनगर में शनिवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान क्विज प्रतियोगिता एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना रहा।विद्यालय के सहायक अध्यापक अंशुल गुप्ता द्वारा कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान परीक्षा आयोजित कराई गई। उन्होंने बताया कि विद्यालय में प्रतिवर्ष दो बार विज्ञान क्विज तथा चार बार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान, समझ एवं कौशल का आकलन किया जा सके। एक घंटे की परीक्षा में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जबकि विज्ञान प्रदर्शनी के मूल्यांकन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए थे।इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय पर आधारित विभिन्न मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित एआरपी प्रदीप निरंजन ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। परीक्षा एवं प्रदर्शनी के संयुक्त मूल्यांकन के बाद किशन ने प्रथम, जीतू सिंह ने द्वितीय तथा विनय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को ट्रॉफी एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया।अंत में सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर कार्यक्रम का समापन किया गया।

होली व रमजान को लेकर पुखरायां में पुलिस का फ्लैग मार्च

अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी सख्ती की चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आगामी होली और रमजान पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। जनपद की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन एवं कस्बा पुखरायां में पैदल गश्त और फ्लैग मार्च किया गया।

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बाजारों, मुख्य चौराहों और रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और यात्रियों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की।

एसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहार खुशियों और आपसी भाईचारे का प्रतीक हैं, इन्हें शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाना चाहिए।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक , क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर सहित अन्य पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक

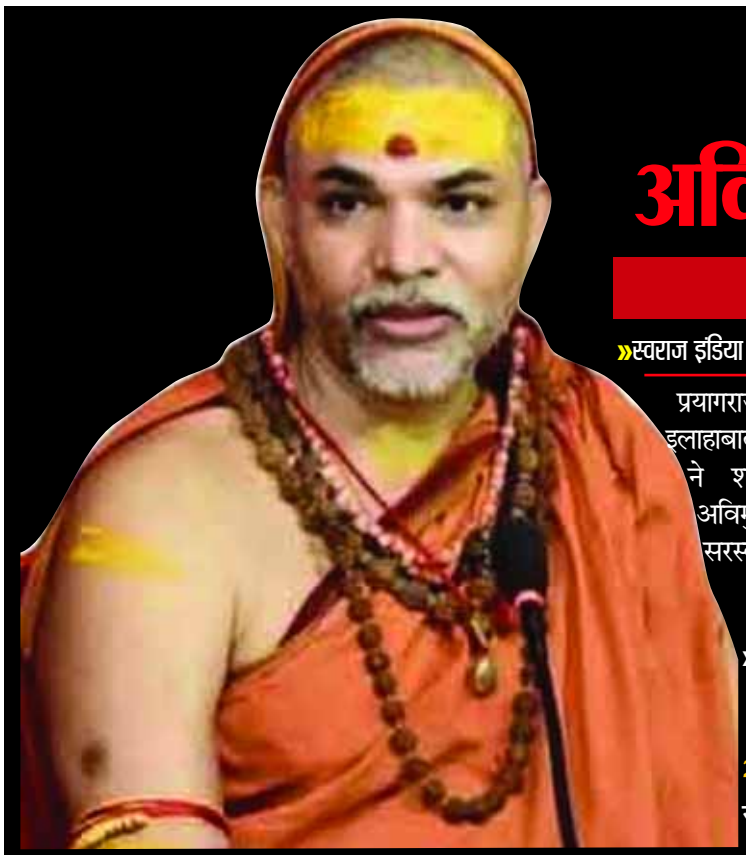

वाराणसी मठ में जश्न

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

प्रयागराज/वाराणसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अदालत के इस आदेश के बाद वाराणसी स्थित मठ में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।

भक्तों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई, वहीं अदालत परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता हर-हर महादेव और जय शंकराचार्य के नारों के साथ मौजूद रहे।

आपको बता दें कि की प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य का विवाद योगी सरकर से हुआ,

इसके बाद से लगातर यूपी की राजनीति गर्म चल रही है.

अखिलेश यादव

और कांग्रेस ने शंकराचार्य का समर्थन करते हु? कई जगह प्रदर्शन भी किए.

सुनवाई के दौरान उठे 4 प्रमुख बिंदु

» अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक शंकराचार्य और उनके शिष्यों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

2. बच्चों की कस्टडी पर निर्देश

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (स्त्र) की ओर से बताया गया कि कथित पीड़ित बच्चे शंकराचार्य या उनके मठ से संबद्ध नहीं पाए गए। इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों की अभिरक्षा जुवेनाइल संस्था को सौंपने का निर्देश दिया और कहा कि वे संबंधित व्यक्ति के पास नहीं रहने चाहिए।

3. कथित वीडियो/सीडी पर सवाल-

अदालत में यह भी चर्चा रही कि जिस कथित वीडियो या सीडी का उल्लेख किया जा रहा था, वह प्रस्तुत नहीं की जा सकी। न्यायालय ने इस संबंध में ठोस साक्ष्य मांगे।

4. साक्ष्य प्रस्तुत न होने पर टिप्पणी

कोर्ट के बार-बार कहने के बावजूद आरोप पक्ष की ओर से शंकराचार्य के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या बच्चों की गवाही पेश नहीं की जा सकी। इस पर न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की।

अदालत परिसर में जुटे 2000 से अधिक अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान लगभग 2000 से अधिक अधिवक्ता अदालत परिसर में मौजूद रहे। कोर्टरूम 卐हर-हर महादेव卐 के जयघोष से गूंज उठा। कई अधिवक्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया।

वाराणसी मठ में उत्सव जैसा माहौल

अदालत के आदेश की सूचना मिलते ही वाराणसी स्थित मठ में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। भक्तों ने मिठाइयां बांटीं और भजन-कीर्तन किया। समर्थकों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि शीघ्र तय की जाएगी।

फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक के आदेश से समर्थकों में राहत का माहौल है, जबकि प्रकरण की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

भदरसा कांड के बाद अब फिर शुरू सियासत

19 महीने बाद जेल से निकलकर मोईद खान का पलटवार

मुख्यमंत्री को गलत सूचना दी गई थी: मोईद खान

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। भदरसा रेपकांड में 19 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद सपा नेता मोईद खान की रिहाई ने जिले की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। जेल से बाहर आते ही मोईद खान ने सीधे सत्ता और विपक्ष पर गंभीर आरोप जड़ते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है।मोईद खान ने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था और अंततः सत्य की जीत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीकापुर विधायक ने बिना तथ्यों की जांच किए योगी आदित्यनाथ जी को गलत सूचना दी, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री को गुमराह कर एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके ही समाज के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रंजिश के चलते इस पूरे मामले को हवा दी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मोईद खान ने कहा कि उन्हें आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहा तो वे अपने बच्चों के रोजगार के लिए दोबारा बेकरी स्थापित करेंगे।

जेल में बिताए समय को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता के साथ गलत हुआ, लेकिन उनका दावा है कि लड़की और उसकी मां को कुछ लोगों ने बहकाया था। गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में मोईद खान पहले ही अदालत से बरी हो चुके हैं, जबकि गैंगस्टर एक्ट में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब उनकी रिहाई के बाद यह मामला फिर से सियासी बहस का केंद्र बन गया है।

होटल विवाद बना हाई-वोल्टेज मामला

- बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर लगा होटल कब्जा करने का आरोप
- अयोध्या में मालिक बनाम संचालक की जंग
- एक पक्ष बोले—धमकी और कब्जा, दूसरा बोले—अनुबंध और निवेश
- प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

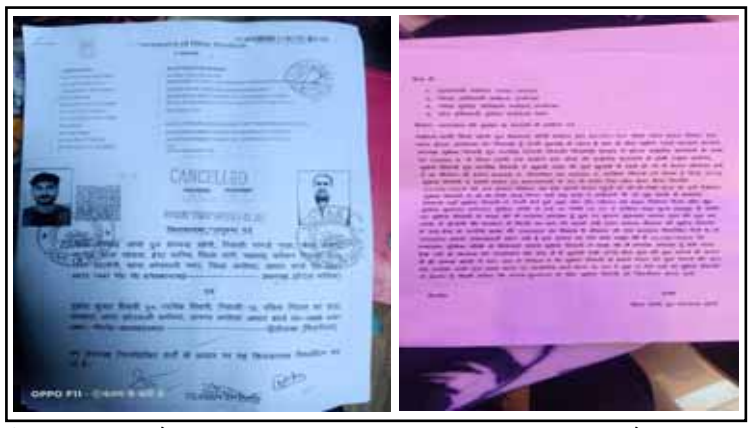

अयोध्या।अयोध्या में एक होटल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आम किराया-समझौते से निकलकर कानून, सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। एक ओर भवन स्वामी खुद को ठगी, धमकी और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बताते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर होटल कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा रहा है। तो दूसरी ओर होटल संचालक सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वैध अनुबंध और भारी निवेश का हवाला दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच टकराव इतना बढ़ चुका है कि मामला पुलिस चौकी और प्रशासनिक दफ्तरों तक पहुंच गया है।

भवन स्वामी का कहना है कि लाइसेंस बनवाने के नाम पर उससे पैसे लिए गए, बाद में उसके मकान को लॉज में बदलकर उसकी पहचान मिटा दी गई। आरोप है कि नेम प्लेट हटाकर और सीसीटीवी बंद कर भवन पर कब्जे की कोशिश की गई। परिवार के साथ मौके पर पहुंचने पर गाली-गलौज और धमकी मिलने की बात भी कही गई है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उससे अवैध रूप से लाखों रुपये की मांग की जा रही है और जान-माल को खतरा है।वहीं, होटल संचालक पक्ष इन आरोपों से इनकार करता है। उसका कहना है कि भवन स्वामी और उसके डीड पार्टनर के साथ विधिवत रजिस्टर्ड अनुबंध हुआ है, जो जनवरी 2026 से 11 माह के लिए है। तय किराया समय पर दिया जा रहा है। संचालनकर्ता के अनुसार, बिना अनुबंध अवधि पूरी हुए जबरन होटल खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जो अनुचित है। संचालक पक्ष यह भी दावा करता है कि होटल के प्रचार-प्रसार और सुविधाओं पर लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे में समय से पहले होटल छोड़ने पर भारी नुकसान होगा। बोर्ड हटाने को लेकर उसका कहना है कि भ्रम से बचने के लिए यह कदम उठाया गया था, न कि कब्जे की नीयत से।विवाद की वजह पर दोनों पक्ष अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। भवन स्वामी जहां इसे धोखाधड़ी और दबाव का मामला बता रहा है, वहीं संचालक इसे निजी मतभेद और गलतफहमी का परिणाम मानता है। बता दे कि हाल ही में होटल में कमरे को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे मामला और तूल पकड़ गया। फिलहाल, दोनों पक्षों के पास अपने-अपने दस्तावेज, सबूत और दावे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस और स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में निष्पक्ष जांच कब होगी और सच कब सामने आएगा। अयोध्या का यह होटल विवाद अब सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की परीक्षा बन गया है, जहां न्याय संतुलन, पारदर्शिता और कानून के आधार पर होना चाहिए।

अयोध्या

रौनाही के बाद अब कुमारगंज में वही खेल

पुलिस वर्दी में ठगी 50 हजार लेकर फरार

पिछले माह रौनाही की घटना का खुलासा भी नहीं कर पाई पुलिस

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले गिरोह के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पिछले माह रौनाही में हुई इसी पैटर्न की ठगी का खुलासा भी पुलिस नहीं कर पाई थी कि अब कुमारगंज में दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया गया। इस बार फिर ठगों ने एक सरसों व्यापारी को निशाना बनाते हुए खुद को एसएचओ का आदमी बताकर 50 हजार रुपये ठग लिए और फरार हो गए। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और व्यापारियों में दहशत का माहौल है।

बता दे कि कुमारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर एक सरसों व्यापारी से 50 हजार रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को थाना प्रभारी का आदमी बताकर व्यापारी को झांसे में लिया और नकद रकम लेकर फरार हो गया।

नगर पंचायत कुमारगंज के बबां रोड निवासी सरसों व्यापारी अनुरुद्ध पुत्र रामचंद्र ने थाना प्रभारी को दी गई तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे एक युवक पुलिस की वर्दी में बाइक से उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने खुद को 'बड़े साहब' यानी एसएचओ का आदमी बताया और कहा कि थाना प्रभारी 9.50 क्विंटल सरसों बेचना चाहते हैं।आरोपी ने सौदा तय करते हुए व्यापारी से 50 हजार रुपये नकद ले लिए और कहा कि तौल के बाद पूरा हिसाब कर दिया जाएगा।

पीड़ित व्यापारी

इसके बाद वह व्यापारी को सरसों लादने के लिए साथ चलने को बोला। अनुरुद्ध अपना बैटरी ई-रिक्शा लेकर आरोपी के साथ चला गया। आरोपी उसे एक कमरे के पास ले गया और चाबी लाने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। काफी देर इंतजार के बाद भी जब वह नहीं लौटा, तब व्यापारी को ठगी का अहसास हुआ।

इसके बाद पीड़ित ने थाना प्रभारी से संपर्क किया, जहां उसे बताया गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को आरोपी की तलाश में लगाया गया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि आरोपी पर भरोसा कर उसने दो-तीन दुकानदारों से पैसे उधार लेकर रकम जुटाई थी, जो अब डूब गई।

थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जीएस लॉ कॉलेज के प्रबन्धको की मुश्किलें बढ़ी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सिविल जज (सीडी तृतीय)/एसीजेएम की अदालत में सरकार बनाम राजेन्द्र यादव वाद संख्या 1984/2025 की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया गया।

अभियुक्तों की ओर से व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा दाखिल करने का अनुरोध किया गया था, जिसे वादी पक्ष ने विरोध करते हुए खारिज करने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुकदमा संख्या 318/2024 में पहले गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, हालांकि विवेचना के बाद कुछ धाराएं हटाई गईं। अदालत ने लगभग 600 पृष्ठों की केस डायरी और आरोपपत्र का अवलोकन करते हुए कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकरण में इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश भी प्रभावी है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों की जमानत पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई जरूरी है। ऐसे में वर्तमान स्तर पर जमानत देना न्यायहित में उचित नहीं है। अदालत ने राजेन्द्र यादव, संजीव कुमार गुप्ता और अनुज गोयल की जमानत याचिका निरस्त करते हुए अगली कार्यवाही के लिए 10 मार्च 2026 की तिथि नियत की है।

राम मंदिर निर्माण की मूक साक्षी मशीन

आस्था की धरोहर

अयोध्या। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष, विश्वास और तपस्या का प्रतीक है। अब मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्थर काटने की मशीन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित किया जाएगा,

ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान निर्माण यात्रा को समझ सकें।वर्ष 1998 में रामसेवक पुरम में स्थापित यह मशीन मंदिर के स्तंभों, शिलाखंडों और सजावटी आकृतियों

को आकार देने का प्रमुख साधन बनी। हजारों शिल्पियों और कारीगरों ने दिन-रात परिश्रम कर पत्थरों को सुंदर कलाकृति में बदला। विशाल पत्थरों को काटना, तराशना और उन पर सूक्ष्म नक्काशी करना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें इस मशीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।इस मशीन का संरक्षण उन असंख्य रामभक्तों के त्याग, समर्पण और परिश्रम को सम्मान देने का प्रयास है, जिन्होंने मंदिर निर्माण को साकार किया। यह मशीन केवल एक साधन नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और संकल्प की प्रतीक है।भविष्य में जब लोग इसे देखेंगे, तो उन्हें न केवल निर्माण प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी, बल्कि उस ऐतिहासिक संघर्ष और विश्वास की अनुभूति भी होगी, जिसने राम मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया।

नोटों से भरा सैन्य विमान सड़क पर गिरा, 15 की मौत

एल ऑल्टो में टेकऑफ के बाद हादसा, दर्जनों वाहन चपेट में, 30 से ज्यादा घायल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी ला पाज़ के पास स्थित एल ऑल्टो में शुक्रवार शाम एक भीषण विमान हादसा हो गया। बोलीवियन एयरफोर्स का हरक्यूलिस सी-130 मालवाहक विमान टेकऑफ के कुछ ही देर बाद अनियंत्रित होकर 'कोस्टानेरा एवेन्यू' नामक व्यस्त सड़क पर जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।जानकारी के मुताबिक, विमान एल ऑल्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर देश के अन्य हिस्सों में नए छपे बैंक नोट ले जा रहा था। उड़ान के तुरंत बाद खराब मौसम या तकनीकी खराबी के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा और सीधे सड़क पर आ गिरा। हादसे के दौरान विमान ने एक दर्जन से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई गाड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गईं।विमान के गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद स्थिति तब और अराजक हो गई जब विमान में मौजूद करोड़ों रुपये के नए नोट सड़क पर बिखर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग राहत और बचाव कार्य में मदद करने के बजाय नकदी इकट्ठा करने में जुट गए।भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को वॉटर कैनन और दंगा नियंत्रण उपकरणों का सहारा लेना पड़ा। बोलीविया का सेंट्रल बैंक ने पुष्टि की है कि विमान में नए बैंक नोटों की बड़ी खेप थी।हादसे के बाद एल ऑल्टो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं।बोलीविया के रक्षा मंत्रालय और वायुसेना ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में विमान का चालक दल और सड़क पर मौजूद आम नागरिक दोनों शामिल हैं, जबकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

सड़क पर बिखरे करोड़ों के नोट, राहत कार्य छोड़ नकदी लूटने दौड़ी भीड़

चागोस विवाद पर मॉरीशस का बड़ा कदम, मालदीव से तोड़े रिश्ते

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- संप्रभुता पर बदले रुख से नाराज मॉरीशस, तत्काल प्रभाव से कूटनीतिक संबंध निलंबित
- राष्ट्रपति मुइज्जू के दावे से बढ़ा तनाव, हिंद महासागर में रणनीतिक टकराव तेज

नई दिल्ली। हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ा कूटनीतिक संकट उभर आया है। मॉरीशस सरकार ने शुक्रवार (27 फरवरी) को कड़ा फैसला लेते हुए मालदीव के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कदम चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर मालदीव के बदले रुख के बाद उठाया गया है।मॉरीशस के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मालदीव ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस की संप्रभुता को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। साथ ही, उसने मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते पर भी आपत्ति जताई है।

इस घटनाक्रम के बाद मॉरीशस कैबिनेट ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानते हुए रिश्ते तोड़ने का निर्णय लिया।विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, कैबिनेट ने चागोस और इसके प्रमुख द्वीप डिएगो गार्सिया से जुड़े कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा की।यह विवाद तब और गहरा गया जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 5 फरवरी को अपने 'स्टेट ऑफ द नेशन' संबोधन में चागोस द्वीपसमूह पर मजबूत दावा पेश किया। उन्होंने 2022 में पिछली सरकार द्वारा मॉरीशस की संप्रभुता को दी गई मान्यता भी वापस ले ली। मुइज्जू ने इसे मालदीव के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया।गौरतलब है कि चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित 60 से अधिक द्वीपों का समूह है, जो अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक शक्तियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। यह क्षेत्र मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका पर निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है।ऐतिहासिक रूप से चागोस द्वीप समूह मॉरीशस का हिस्सा था, लेकिन 1965 में ब्रिटेन ने इसे अलग कर 'ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र' बना दिया। इसके बदले मॉरीशस को मुआवजा दिया गया, जिसे वह हमेशा से दबाव में कराया गया समझौता बताता रहा है।इस पूरे विवाद ने अब क्षेत्रीय राजनीति को गर्मा दिया है और हिंद महासागर में सामरिक संतुलन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

योगी का सख्त संदेश

राजस्व बढ़ाओ, विकास दौड़ाओ

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- 2.95 लाख करोड़ लक्ष्य के मुकाबले फरवरी तक 1.96 लाख करोड़ वसूली, जीएसटी-एआई से बढ़ी पकड़

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी माह तक कर एवं करेत्तर राजस्व की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व और खनन विभागों के कार्यों का आकलन करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व वृद्धि ही प्रदेश के विकास की गति तय करती है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाते हुए लक्ष्य प्राप्ति तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए कुल कर-राजस्व का लक्ष्य 2,95,000 करोड़ निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है। राज्य कर के 1,75,725 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,03,770 करोड़ का संग्रह हुआ है, जिसमें जीएसटी से 75,195 करोड़ और वैट से 28,575 करोड़ शामिल हैं। विभाग ने बताया कि जीएसटी 2.0, एआई आधारित जोखिम विश्लेषण, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल मॉनिटरिंग से कर अनुपालन में सुधार हुआ है। 1.59 लाख करदाताओं की एआई जांच और फर्जी आईटीसी पर नियंत्रण के जरिए 3,117 करोड़ की वसूली की गई।

आबकारी विभाग ने 63,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले फरवरी तक 48,501 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की, जो पिछले वर्ष से 13.2 प्रतिशत अधिक है। दुकानों के 93.75 प्रतिशत नवीनीकरण के साथ मार्च में लगभग 9,050 करोड़ अतिरिक्त राजस्व का अनुमान जताया गया है। वर्षांत तक यह आंकड़ा 57,550 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने 38,150 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 29,487 करोड़ की वसूली की है। विभाग ने सर्किल दरों के वैज्ञानिक पुनरीक्षण और पंजीकरण अभियान को राजस्व वृद्धि का प्रमुख आधार बताया। वहीं परिवहन विभाग ने 14,000 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 11,005 करोड़ की प्राप्ति दर्ज करते हुए डिजिटल मॉनिटरिंग और प्रवर्तन अभियान को इसका कारण बताया।भू-राजस्व एवं ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से 3,414 करोड़ की उपलब्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष से 12.6 प्रतिशत अधिक है। खनन विभाग ने 6,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 3,597 करोड़ की प्राप्ति की और मार्च में 600 करोड़ अतिरिक्त आय का अनुमान जताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ता हुआ राजस्व प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देता है। साथ ही उन्होंने होली पर्व के मद्देनजर आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने और अवैध व जहरीली शराब पर पूरी तरह नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्टाम्प विभाग को भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने और परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा व बस फिटनेस पर विशेष ध्यान देने को कहा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें https://epaper.swarajindianews.com